

CIRCULAR

A letter memo No. 1/9/2009-1 dated 23.02.2015 received from the Chief Secretary to the Govt. of Haryana is enclosed herewith.

Chandigarh
Dated: 23.02.2015

Officer on Special Duty
Advocate General Haryana

Endst. No. 13456-66

Dated:- 25/2/15

A copy each is forwarded to the following for information and necessary action :-

1. Administrative officer *[Signature]* 25/2
2. Supdt. Misc. Branch *[Signature]* 25/2
3. Supdt. Current Writ Branch *[Signature]* 25/2/15
4. Supdt. Accounts Branch *[Signature]* 26/2/15
5. Supdt. Old Writ Branch/ Record Branch
6. Dy. Supdt. Criminal-I & II/List Branch *[Signature]* 25/2/15
7. Dy. Supdt. Civil Filing -I *[Signature]* 25/2
8. Dy. Supdt. Civil Filing -II *[Signature]* 25/2/15
9. Incharge Steno Branch *[Signature]* 25/2/15
- ✓ 10. Incharge Library Branch
11. Jamadar *Anil Kumar* *[Signature]*

Internal distribution
PS/Ld.AG

[Signature]
Officer on Special Duty
for Advocate General, Haryana
ok 23/2/15

विधान सभा कार्य

परम अग्रता

क्रमांक 1/9/2009-1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।


दिनांक चण्डीगढ़ 23 फरवरी, 2015.

विषय:- हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्यालय में उपस्थिति रहने व दौरे पर न जाने बारे ।

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की ओर दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 9 मार्च, 2015 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा के हाल में बुलाया गया है । अतः अधिवेशन की तैयारी के लिये तथा अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाये । कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर न जाए और यदि अवकाश स्वीकृत करना अति आवश्यक हो तो केवल अपरिहार्य कारणों के दृष्टिगत ही स्वीकृत किया जाये । यह भी सुनिश्चित किया जाये कि हरियाणा विधान सभा के अधिवेशन सम्बन्धी कार्य की तैयारी एवं अधिवेशन के दौरान कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिये अधिकारी/कर्मचारी दौरे पर न जायें तथा अपने मुख्यालयों पर ही रहें ।

भवदीय,



अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

भेजी जाती है :-

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सभी प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।


अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

विधान सभा कार्य

परम अग्रता

क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा (चण्डीगढ़ एवं पंचकुला स्थित)

दिनांक चण्डीगढ़ 23 फरवरी, 2015

विषय:-

हरियाणा विधान सभा अधिवेशन के दौरान अधिकारी दीर्घा में प्रवेश को नियमित करना ।


-:-:-

महोदय,

मुझे आपका ध्यान उपरोक्त विषय की और दिलाते हुए यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि हरियाणा विधान सभा का आगामी अधिवेशन 9 मार्च, 2015 को बाद दोपहर 2.00 बजे हरियाणा विधान सभा भवन में बुलाया गया है । हरियाणा विधान सभा की अधिकारी दीर्घाओं में सीटों की संख्या सीमित होने के कारण राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अधिकारी दीर्घा में प्रवेश के लिये केवल प्रशासकीय सचिवों एवं विभागाध्यक्षों के लिये ही अनुमति पत्र की मांग की जाए ।

2. सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि जब प्रशासकीय सचिव/विभागाध्यक्ष किसी अपरिहार्य कारण से विधान सभा के अधिवेशन में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हों तो वे विभाग के केवल दूसरे वरिष्ठतम अधिकारी को हरियाणा विधान सभा की बैठक की अवधि के लिए भेजें और केवल उस विशेष तिथि के लिये उस अधिकारी का नाम बताते हुये अधिकारी दीर्घा में प्रवेश हेतु अनुमति पत्र की मांग सचिव, हरियाणा विधान सभा को सीधे ही तथा अधिवेशन आरम्भ होने से पूर्व समय रहते भेज दें ।

भवदीय,



अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

दिनांक चण्डीगढ़ 23 फरवरी, 2015.


क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0


एक प्रति सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ भेजी जाती है ।



एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु भेजी जाती है:-

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सभी प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।


अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।


सेवा में

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सभी प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।

अशा: क्रमांक 1/6/2009-1सं0 का0

दिनांक चण्डीगढ़ 23 फरवरी, 2015.

विधान सभा कार्य

परम अग्रता

विषय:- माननीय राज्यपाल के विधान सभा में अभिभाषण के समय की जाने वाली कार्यवाही बारे ।

<<0>>

क्या सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव उपरोक्त विषय की ओर ध्यान देने की कृपा करेंगे?

2. हरियाणा विधान सभा का अधिवेशन दिनांक 09 मार्च, 2015 को बाद दोपहर 2.00 बजे बुलाया गया है । इसी दिन बाद दोपहर 2.00 बजे राज्यपाल महोदय, हरियाणा विधान सभा को सम्बोधित करेंगे । उनके अभिभाषण के समय सभी प्रशासकीय सचिव अपने-2 विभागाध्यक्षों के साथ उपस्थित रहेंगे । हरियाणा विधान सभा में माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के लिये आगमन तथा प्रस्थान के समय तथा अभिभाषण से पूर्व वन्दे मातरम तथा अभिभाषण के पश्चात् राष्ट्रीयगान की धुन के समय विधान सभा के सदस्यगण एवं सरकारी गैलरी में उपस्थित अधिकारीगण/आगन्तुक, गैलरी व प्रैस गैलरी में उपस्थित अधिकारी/व्यक्ति, महामहिम राज्यपाल/राष्ट्रीयगान के सम्मान में खड़े होंगे । अतः आपसे अनुरोध है कि इन हिदायतों का विधान सभा अधिवेशन के दौरान उपस्थित सभी अधिकारीगण/व्यक्ति दृढ़ता से पालन करें ।


अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।


सेवा में

1. सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं सभी प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार ।
2. सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार ।
3. सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा सरकार ।

अशा. क्रमांक 1/3/2009-1सं का. दिनांक चण्डीगढ़ 23 फरवरी, 2015

पृष्ठांकन क्रमांक 1/3/2009-1सं का. दिनांक चण्डीगढ़ 23 फरवरी, 2015

एक प्रति सचिव/राज्यपाल, हरियाणा, चण्डीगढ़ व सचिव, हरियाणा विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।


अधीक्षक संसदीय कार्य

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।